न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 44/2016

1– मोहनलाल पुत्र श्री कजोड जी ब्राहम्ण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जालिया द्वितीय, तहसील – बिजयनगर, जिला अजमेर।

——————प्राथीगण

ब ना म

1– गोकल पुत्र श्री कजोड जी ब्राहमण
2– मुरली त्रिपाठी श्री रामेश्वरप्रसाद जी त्रिपाठी
3– श्रीमति दुर्गा देवी पत्नी श्री औमप्रकाश जी ब्राहमण
सभी निवासीगण ग्राम जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर,
4– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

——————अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय पटवार मंडल जालिया द्वितीय भू0 अ0 नि0 क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 2278 रक्बा 4–06–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत 2065–68 के खाता संख्या 460 में ख0 न0 2278 रक्बा 04–06–00 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम जालिया द्वितीय स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 2278 रक्बा 04–06–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर रु 1500/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

उपखण्ड अधिकारी मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 18:02:44 IST
Reason: SelfAttested